

ज्ञापांक 128 / गो

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक :- 6-7-15

सेवा में,

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार ।

सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार ।

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार ।

7/7

यह देखा जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारी सरकारी पत्राचार में हस्ताक्षर की जगह पर मात्र अपना initial करते हैं और अपना नाम भी नहीं लिखते हैं। यही पद्धति पर्यवेक्षण टिप्पणी लिखने के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सर्किल पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपनायी जा रही है, वे भी पर्यवेक्षण टिप्पणी में मात्र अपना पदनाम पर initial करते हैं। यह पत्राचार की सही परम्परा नहीं है और कालान्तर में किसी विषय पर कार्यवाई करने हेतु तिथि के अनुसार Succession board पढ़ कर उक्त पदाधिकारी का नाम ज्ञात करना पड़ता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि :-

1. हस्ताक्षर के स्थान पर अपना पूरा नाम अकित करें।
2. यदि initial करना है तो पदनाम के ऊपर नाम टकित करें और उसके ऊपर initial करें।
3. इस निदेश के अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक अपने जिला के सभी पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक के लिए आदेश निर्गत करेंगे।

पुलिस महानिदेशक

पुलिस महानिदेशक,

ज्ञापांक 128 / विधि-व्यवस्था

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक :- 6-7-15

प्रतिलिपि :- 1. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय/अभियान/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अपर पुलिस महानिदेशक

(विधि-व्यवस्था),
बिहार, पटना ।